

उ०प्र० शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज

पत्रांक- ५१५ /.....(2025)/अधियाचन/ 2025-26

दिनांक:- २३/०५/२०२५

प्रेस-विज्ञापित / संशोधित विज्ञापन, (वि०स०-५१)

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उ०प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या-५१ द्वारा प्रदेश के अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में रिक्त सहायक आचार्य के १०१७ पदों का ऑनलाइन विज्ञापन जारी किया गया था। इस ऑनलाइन विज्ञापन में सहायक आचार्य-बी०एड० के १०७ पदों का विज्ञापन भी प्रकाशित किया गया था, जिसमें आवेदन की अन्तिम तिथि ३१.०८.२०२२ थी। विज्ञापन प्रकाशन के उपरान्त मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या-१२८०३/२०२२ अंजू व ०२ अन्य में पारित मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक- ०९.१२.२०२२ द्वारा सहायक आचार्य बी०एड० की अर्हता एन०सी०ई०टी० के मानकों के अनुरूप न होने के कारण इसे रद्द करते हुए पुनः विज्ञापित करने का आदेश पारित किया गया था।

अतः मा० उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक ०९.१२.२०२२ एवं माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-१७७१९/२०२३ में पारित आदेश दिनांक ०१.०९.२०२३ के अनुपालन में पुनः सहायक आचार्य-बी०एड० के १०७ पदों का ऑनलाइन विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें विज्ञापन संख्या-५१ की अन्तिम तिथि दिनांक ३१.०८.२०२२ तक एन०सी०ई०टी० द्वारा निर्धारित अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ही आवेदन किया जाना है। अभ्यर्थी उ०प्र० शिक्षा सेवा चयन, आयोग की वेबसाइट- www.upessc.up.gov.in पर विस्तृत विज्ञापन का सावधानी पूर्वक पढ़ने के उपरान्त ही ऑनलाइन आवेदन करें।

- ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ होने की तिथि - २३ मई २०२५
- ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारम्भ तिथि - २४ मई २०२५
- ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन की अन्तिम तिथि - १२ जून २०२५
- ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि - १३ जून २०२५
- ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अन्तिम तिथि - १४ जून २०२५ (सायं ५:०० बजे तक)


सचिव,

उ०प्र० शिक्षा सेवा चयन आयोग,
प्रयागराज।

विज्ञापन संख्या-51 में विज्ञापित सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में सहायक
आचार्य के चयन सम्बन्धी आवश्यक निर्देश-

अनुक्रमणिका

क्र० सं०	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	महत्वपूर्ण तिथियाँ एवं महत्वपूर्ण निर्देश	1
2.	ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना	1-2
3.	आवेदन शुल्क	3
4.	रिक्तियों का विवरण	3-4
5.	अधिकतम आयु तथा वेतनमान	4
6.	आरक्षित श्रेणी के आवेदकों हेतु निर्देश	4-5
7.	अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएँ	5
8.	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया	5-6
9.	आरक्षण	7
10.	लिखित परीक्षा सम्बन्धी निर्देश	7-8
11.	चयन का आधार	8
12.	अधिमानता	8-9
13.	साक्षात्कार के लिए निर्देश	9-10
14.	सारिणी- 01 : सहशिक्षा/महिला महाविद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण	11
15.	सारिणी- 02 : वर्गवार अधियाचित पदों का विवरण/सहशिक्षा महाविद्यालयों में महिलाओं हेतु आरक्षित पदों का विवरण	12-13
16.	परिशिष्ट- 1 : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप	14
17.	परिशिष्ट- 2 : अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र का प्रारूप	15
18.	परिशिष्ट- 3 : आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) प्रमाण-पत्र का प्रारूप	16
19.	परिशिष्ट- 4 : दिव्यांग (PH) का प्रमाण-पत्र	17
20.	परिशिष्ट- 5 : स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (DFP) आश्रित का प्रमाण-पत्र	18
21.	परिशिष्ट- 6 : नेट/स्लेट/सेट की अनिवार्य न्यूनतम अर्हता से छूट प्राप्त करने हेतु पी-एच.डी./डी.फिल. उपाधि यू.जी.सी. (एम. फिल./पी-एच.डी. की उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम-2009/2016 के अनुसार होने का सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र का प्रारूप	19
22.	परिशिष्ट- 7 : शपथ-पत्र (10 रुपये की नोटरी) में	20



उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज प्रयागराज, 211002

विज्ञापन संख्या-51 के अन्तर्गत विज्ञापित सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य बी0एड0 की प्रतियोगितात्मक परीक्षा-2025

महत्वपूर्ण तिथियाँ

ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ होने की तिथि	-	23 मई 2025
ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारम्भ तिथि	-	24 मई 2025
ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन की अन्तिम तिथि	-	12 जून 2025
ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	-	13 जून 2025
ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अन्तिम तिथि	-	14 जून 2025 (सायं 5:00 बजे तक)

महत्वपूर्ण निर्देश

तत्कालीन उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या-51 द्वारा प्रदेश के अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में रिक्त सहायक आचार्य के कुल 1017 पदों पर ऑनलाइन आवेदन 09 जुलाई 2022 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें आवेदन की अन्तिम तिथि 31 अगस्त 2022 थी। इस विज्ञापन के अन्तर्गत ही सहायक आचार्य बी0एड0 के 107 पदों हेतु भी आवेदन मांगे गये थे परन्तु विज्ञापन प्रकाशन के उपरान्त सहायक आचार्य बी0एड0 की अर्हता N.C.T.E मानको के अनुरूप न होने के कारण मा0 उच्च न्यायालय में याचिका संख्या- 12803/2022 अन्जु व 02 अन्य योजित की गयी। इस याचिका में पारित आदेश दिनांक 09.12.2022 द्वारा सहायक आचार्य बी0एड0 के 107 पदों के विज्ञापन को निरस्त करते हुए पुनः N.C.T.E मानको के अनुरूप विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश पारित किया गया। तत्क्रम में मा0 उच्च न्यायालय में याचिका संख्या- 12803/2022 अन्जु व 02 अन्य योजित की गयी। इस याचिका में पारित आदेश दिनांक 09.12.2022 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-17719/2023 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2023 के अनुपालन में एवं शासनादेश संख्या- 1/876745/2025/70-2099/ 8/2025 उच्च शिक्षा अनुभाग- 2 लखनऊ दिनांक 10.02.2025 द्वारा N.C.T.E REGULATIONS-2014 के अनुसार बी0एड0 की संशोधित शैक्षिक अर्हता पर अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त यह विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। आशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या-51 के अन्तर्गत विज्ञापित सहायक आचार्य बी0एड0 के कुल 107 पदों का आरक्षित श्रेणीवार, विवरण सारिणी-01 में दिया गया है। इन पदों के सापेक्ष चयन हेतु तत्कालीन विज्ञापन संख्या-51 में आवेदन की अन्तिम तिथि 31 अगस्त 2022 तक N.C.T.E REGULATIONS-2014 के अनुसार सहायक आचार्य-बी0एड0 की शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। यहाँ यह भी सूच्य है कि इस ऑनलाइन विज्ञापन में पूर्व में विज्ञापन संख्या-51 के अन्तर्गत सहायक आचार्य बी0एड0 के पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को भी नवीन आवेदन करना है परन्तु उन्हें आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं करना है। साथ ही साथ यदि कोई अभ्यर्थी, जिसने पूर्व में वि0सं0-51 के अन्तर्गत सहायक आचार्य बी0एड0 हेतु आवेदन किया है और अब वह इस परीक्षा में प्रतिभाग नहीं करना चाहता है तो वह कार्यालय कार्य दिवस में आयोग कार्यालय में संपर्क कर अपना शुल्क वापस प्राप्त कर सकता है। उक्त विज्ञापित पदों के लिए अभ्यर्थी को केवल एक ही आवेदन सबमिट (Submit) करना है।

1. ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना-

- 1.1 इस विज्ञापन के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन पद्धति (Online Application Submission System) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन ही आवेदन करें।
- 1.2 आयोग की वेबसाइट www.upessc.up.gov.in पर दिये गये लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है।



उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज प्रयागराज, 211002

- 1.4 आयोग के उक्त पोर्टल पर प्रश्नगत विज्ञापन से सम्बन्धित निम्न जानकारियाँ उपलब्ध हैं जिनका आवेदन से पूर्व सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिये।
 - 1.4.1 सहायक आचार्य बी0एड0 विषय हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम
 - 1.4.2 विज्ञापित विषय की श्रेणीवार रिक्तियाँ
 - 1.4.3 ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पूर्ण निर्देश
 - 1.4.4 ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सामान्य अनुदेश
 - 1.4.5 उपलब्ध विषय के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएँ
- 1.5 "ऑनलाइन" आवेदन करते समय अभ्यर्थी यदि किसी प्रकार की कठिनाई का निवारण चाहते हैं तो किसी भी कार्य दिवस में आयोग के हेल्पलाइन नम्बर—(8851860635) पर सम्पर्क कर सकते हैं।
- 1.6 एक बार आवेदन "सबमिट"(Submit) करने के पश्चात् उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। सबमिट किये गये आवेदन में यदि अभ्यर्थी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो निर्धारित अन्तिम तिथि तक वे दूसरा नया आवेदन (Second New Registration) संशोधित सूचना के साथ पुनः आवेदन—शुल्क जमा करके ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। 01 ही मोबाइल नम्बर व ई—मेल आईडी से दो आवेदन—पत्र अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरे जा सकते। अतः दूसरा आवेदन—पत्र भरने हेतु अभ्यर्थी को नया मोबाइल नम्बर व ई—मेल आईडी पंजीकरण करनी पड़ेगी। पहले आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा और उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों के लिए एक से अधिक आवेदन "सबमिट" करने की दशा में अन्तिम आवेदन ही स्वीकार्य होगा, शेष सभी आवेदन निरस्त माने जायेंगे।
- 1.7 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में की गयी घोषणा (Declaration) सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त चयनों/परीक्षाओं से वंचित (Debar) करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- 1.8 आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने अथवा 31 अगस्त, 2022 को 62 वर्ष से अधिक आयु होने पर आवेदन "सबमिट" नहीं होगा।
- 1.9 निर्धारित साइज की फोटो अपलोड न करने तथा निर्धारित स्थान पर स्पष्ट हस्ताक्षर न करने अथवा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न करने पर अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 1.10. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वे तभी आवेदन करें जब वे सन्तुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह हैं।
- 1.11. आवेदन स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों को विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। अतः अभ्यर्थी आवेदन करते समय यह भलीभाँति सुनिश्चित कर लें कि जिस पद के लिए वे आवेदन कर रहे हैं उनके लिए विज्ञापन में दी गयी अर्हता धारित करते हैं, तभी आवेदन करें। पद हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से कम योग्यताधारी अभ्यर्थी यदि आवेदन करते हैं तो इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- 1.12. ऑनलाइन आवेदन "सबमिट" हो जाने के पश्चात् आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि, जेन्डर (लिंग) आदि में परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी सूचनायें सही—सही भरें। गलत जेन्डर (लिंग) भरने अथवा जेन्डर (लिंग) के अनुरूप फोटो चस्प्या न करने की दशा में आवेदकों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः गलत जेन्डर (लिंग) न भरें और न ही गलत फोटो चस्प्या करें। ऑनलाइन प्रक्रिया में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी सूचना अन्तिम है। इसमें आयोग द्वारा संशोधन किया जाना सम्भव नहीं है।
- 1.13. हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण—पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण—पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- 1.14 अभ्यर्थी के अर्ह/अनर्ह होने के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम निर्णय होगा।



उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज प्रयागराज, 211002

2. आवेदन शुल्क-

उक्त पद के आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित आवेदन शुल्क निम्नानुसार है:-

(अ) श्रेणीवार आवेदन शुल्क

क्रमांक	श्रेणी	आवेदन शुल्क
1	सामान्य वर्ग	2000.00
2	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	2000.00
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	2000.00
4	अनुसूचित जाति	1000.00
5	अनुसूचित जनजाति	1000.00

(ब) आवेदन शुल्क के अतिरिक्त देय धनराशि

S. N.	Payment Modes	Rates Applicable
1	Debit Card (Ru-Pay)	Nil
2	Debit Card up to(<=Rs. 2000.00) Master / Visa	0.32%
3	Debit Card up to(>Rs. 2000.00) Master / Visa	18.00
4	Credit Cards (Master/Visa/Rupay/Diners)	0.82%
5	Internet Banking SBI	Rs. 15.50
6	Internet Banking of HDFC, AXIS, ICICI	Rs. 10.50
7	Internet Banking of KOTAK	Rs.11.00
8	Internet Banking of FEDERAL YES	Rs. 8.00
9	Internet Banking of INDIAN BANK	Rs. 5.00
10	Internet Banking of OTHER BANK	Rs. 5.50
11	UPI	NIL
12	Wallets	1.65%
13	NEFT/RTGS	Rs. 3.00

नोट-

1. अभ्यर्थी आवेदन शुल्क में भुगतान (Mode) के आधार पर दिये गये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क को जोड़कर कुल जमा राशि आवेदन हेतु जमा करें। निर्धारित शुल्क के अलावा कोई भी राशि मान्य नहीं होगी।
2. अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति) अनारक्षित वर्ग में सम्मिलित किये जायेंगे। अतः उन्हें अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जायेगा। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

3. रिक्तियों का विवरण-



उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज प्रयागराज, 211002

- 3.1 विभिन्न महाविद्यालयों में बी0एड0 विषय में रिक्त 107 पदों का श्रेणीवार विवरण (शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना) सारिणी-01 पर कुल रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध है।
- 3.2 शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराये गये सहायक आचार्य के विषय/महाविद्यालयवार 107 पदों के अधियाचन में क्षैतिज आरक्षण (दिव्यांगजन हेतु- 4 पद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हेतु-2 पद एवं सहशिक्षा महाविद्यालयों में महिलाओं हेतु आरक्षित-27 पद) दर्शाया गया है।
- 3.3. उपर्युक्त सारणी-1 में श्रेणीवार पदों की संख्या शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रेणीवार रिक्त पदों की सूचना पर आधारित है।
- 3.4 उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों, शासनादेशों में निर्धारित/अध्यादेशों/नीति निर्देशों के अनुसार आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
- 3.5 रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है, तथा आरक्षण की स्थिति शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर साक्षात्कार से पूर्व उपलब्ध करायी जायेगी जिसमें तदनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है।
4. अधिकतम आयु तथा वेतनमान-
 - 4.1 इस विज्ञापन में उल्लिखित पदों के सापेक्ष सहायक आचार्य पद हेतु आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों की आवेदन करने की अन्तिम तिथि को अधिकतम आयु सीमा-62 वर्ष है।
 - 4.2 सहायक आचार्य पद हेतु अनुमन्य वेतनमान-रु० 15600.00-39100.00 ग्रेड वेतन-6000 है तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर देय भत्ते देय होंगे।
5. आरक्षित श्रेणी के आवेदकों हेतु निर्देश
 - 5.1 उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।
 - 5.2 एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी।
 - 5.3 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/दिव्यांगजन को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जायेंगे।
 - 5.4 उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण-पत्र जिसमें उनके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य नहीं होगा। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
 - 5.5 उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण-पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य नहीं होगा। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
 - 5.6 ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रमाण-पत्र, कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश



उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज प्रयागराज, 211002

शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत है तथा उक्त प्रमाण-पत्र में अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।

- 5.7 ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के अन्तर्गत नहीं आते हैं तथा जिन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग में होने का दावा किया है, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर वर्तमान तिथि का बना हुआ निर्गत हो, तभी मान्य होगा। उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को ही उक्त वर्ग का लाभ अनुमन्य होगा।
- 5.8 जो अभ्यर्थी केन्द्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं, वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें, जिसे माँगे जाने पर आयोग को प्रस्तुत करना होगा, प्रारम्भ में अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं है। साक्षात्कार के समय अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 5.9 ऐसे पुरुष/महिला अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ/ पति अथवा ऐसी महिला/पुरुष अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया है, जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी/पति है, पात्र नहीं समझे जाएँगे बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबन्ध से मुक्ति प्रदान न कर दी गयी हो। Sarkari Result : SarkariResult.Com
- 5.10 आवेदन-पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन अन्तिम रूप से आवेदन-पत्र सबमिट (SUBMIT) करने से पूर्व ही किया जा सकता है। आवेदन-पत्र एक बार सबमिट (SUBMIT) हो जाने के उपरान्त किसी भी प्रकार का संशोधन आयोग द्वारा नहीं किया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
- 5.11 अभ्यर्थी के विरुद्ध मा० न्यायालय में वाद दायर होने अथवा न होने या मा० न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने अथवा नहीं किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में यदि भविष्य में अभ्यर्थी द्वारा सूचना न दिये जाने अथवा छुपाये जाने या गलत सूचना दिये जाने संबंधी जानकारी आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी के अभ्यर्थन को समाप्त कर दिया जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

6. अनिवार्य शैक्षिक योग्यता

इस विज्ञापन में निहित सहायक आचार्य-बी०एड०पद हेतु विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं अधोलिखित वर्णित हैं-

असिस्टेंट प्रोफेसर बी०एड० हेतु न्यूनतम अर्हताएं

- 6.1 55 प्रतिशत अंको के साथ विज्ञान/गणित/सामाजिक विज्ञान/वाणिज्य/भाषा में परास्नातक उपाधि (बी०एड० शिक्षण हेतु) विशेषज्ञता के क्षेत्र में सम्बन्धित विषय में 55 प्रतिशत अंकों के साथ परास्नातक उपाधि (एम०एड० शिक्षण हेतु)।

- 6.2 55 प्रतिशत अंको के साथ एम०एड० उपाधि।

या

55 प्रतिशत अंको के साथ शिक्षाशास्त्र विषय में परास्नातक (एम०ए० शिक्षाशास्त्र) उपाधि और 55 प्रतिशत अंको के साथ बी०एड०/ बी०एल०एड० अथवा समकक्ष एवं मान्य कोई अन्य उपधि।

- 6.3 शिक्षाशास्त्र में पी-एच०डी० अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U.G.C.) द्वारा आयोजित नेट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

7. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया



उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज प्रयागराज, 211002

इस विज्ञापन में निहित सहायक आचार्य पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के छः स्तर हैं।

(1) सर्वप्रथम अभ्यर्थी को पोर्टल पर इस विज्ञापन के सापेक्ष रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

रजिस्ट्रेशन कराने हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी को विषय का चुनाव करना होगा। उसके उपरान्त माँगी गयी सूचनायें यथा नाम, ई-मेल, श्रेणी, मोबाइल नम्बर पूर्ण करने के उपरान्त Generate OTP Button क्लिक करने पर अभ्यर्थी को 04 अंकों का OTP नम्बर प्राप्त होगा। प्राप्त OTP नम्बर को यथा स्थान अंकित करने के उपरान्त उसे सत्यापित (Verify) करना होगा। OTP नम्बर प्राप्त (Verify) होते ही अभ्यर्थी को Login Password बनाना होगा जिसमें कम से कम एक Capital Letter एक Small Letter एक Special Character एवं एक नम्बर होना आवश्यक है। जिसकी संख्या न्यूनतम 6 एवं अधिकतम 30 अंक हो सकती है।

(2) अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात् होम पेज पर दायी ओर सबसे ऊपर दिये गये बटन Registered Candidate Login पर क्लिक करेगा। क्लिक करने के उपरान्त अभ्यर्थी अपना पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड यथा स्थान अंकित करेगा। अंकित करने के उपरान्त अभ्यर्थी से Personal Details, का पेज खुलकर सामने आयेगा उसमें माँगी गयी सम्पूर्ण सूचनाएं अभ्यर्थी को पूर्ण करने के उपरान्त Save & Continue Button पर अगले स्तर पर जाना होगा।

(3) अगले स्तर पर अभ्यर्थी को पत्र व्यवहार एवं स्थायी पता अंकित कर Save & Continue Button पर अगले स्तर पर जाना होगा।

(4) अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हताएं पूछी गयी हैं। अभ्यर्थी को अर्हताओं के सम्बन्ध में पूर्ण सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही प्रत्येक माँगी गयी सूचना को स्पष्ट रूप से भरे अन्तिम रूप से भरने के उपरान्त अर्हताओं में किसी भी प्रकार का संशोधन आयोग स्तर पर नहीं किया जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की ही होगी। अर्हताओं को Save & Continue Button पर क्लिक कर अगले स्तर पर जाना होगा।

(5) अभ्यर्थी को निम्न अभिलेख JPG एवं PDF Format में अपलोड करना होगा।

(i) अभ्यर्थी की 30 से 50Kb के मध्य की वक्ष तक की नवीनतम फोटो।

(ii) अभ्यर्थी का हस्ताक्षर 30 से 40Kb के मध्य

(iii) जन्म तिथि के प्रमाण हेतु हाईस्कूल का प्रमाण-पत्र

(iv) सम्बन्धित विषय के स्नातकोत्तर उपाधि की अंकतालिका

(v) न्यूनतम अर्हता हेतु स्लेट/नेट/जे.आर.एफ./पी-एच.डी. प्रमाण-पत्र

(vi) आरक्षित श्रेणी के सत्यापन हेतु नवीनतम तिथि का बना हुआ जाति प्रमाण-पत्र। (महिला अभ्यर्थी पिता पक्ष का बना हुआ जाति प्रमाण-पत्र अपलोड करें)।

(vii) दिव्यांगजन अभ्यर्थी दिव्यांगजन का प्रमाण-पत्र जिसमें दिव्यांगजन का प्रतिशत न्यूनतम 40 प्रतिशत होना आवश्यक है। केवल उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों को उक्त श्रेणी का लाभ अनुमन्य है। अतः वे ही उक्त प्रमाण-पत्र अपलोड करें।

(viii) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितम प्रमाण-पत्र। केवल उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों को उक्त श्रेणी का लाभ अनुमन्य है। अतः वे ही उक्त प्रमाण-पत्र अपलोड करें।

उक्त प्रमाण-पत्र अपलोड करने के उपरान्त अभ्यर्थी से उनके विरुद्ध न्यालयीय विवाद (FIR) आदि सम्बन्धी सूचना तथा किसी प्रतियोगी संस्थाओं द्वारा परीक्षाओं से वंचित करने व सेवा में कभी दण्डात्मक कार्यवाही होने अथवा होने सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर देना होगा।

उक्त के उपरान्त अभ्यर्थी उसके द्वारा दी गयी समस्त सूचनाओं को ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद अन्त में दी गयी शपथ को स्वीकार करेगा। स्वीकार करने के उपरान्त उसके द्वारा भरी गयी समस्त सूचनाओं के Preview की जाँच करेगा। जाँच करने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी को नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि समझ में आती है तो Edit Button पर क्लिक कर यथा स्थान आवश्यक संशोधन करते हुए SUBMIT बटन पर क्लिक करेगा। एक बार आवेदन SUBMIT होने के उपरान्त आवेदन-पत्र में कोई भी बदलाव किया जाना किसी भी दशा में सम्भव नहीं होगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।



उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज प्रयागराज, 211002

(6) अन्त में उपरोक्त विवरण पूर्ण करने के उपरान्त अभ्यर्थी को ऑनलाइन किये गये आवेदन हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा किया जाना होगा। परीक्षा शुल्क जमा किये जाने हेतु दो बटन दिखाई देगे जिसमें ऑनलाइन पेमेन्ट व चालान द्वारा भुगतान अंकित होगा। अभ्यर्थी सुविधानुसार ऑनलाइन अथवा चालान से आवेदन शुल्क जमा कर सकता है। चालान से शुल्क देश भर में इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में जमा किया जा सकता है। चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त 24 घण्टे के बाद ही अपना आवेदन-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन-शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि 11 जून 2025 है अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-शुल्क रात्रि 11:59 PM बजे तक जमा कर सकते हैं। उक्त समय के उपरान्त आवेदन-शुल्क जमा नहीं होने की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। अतः अभ्यर्थी आवेदन-शुल्क यथा समय जमा किया जाना स्वयं सुनिश्चित करें। ऑनलाइन आवेदन-शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थी आवेदन-शुल्क जमा करने के उपरान्त सफलता पूर्वक भुगतान प्राप्त होने की सूचना के तुरन्त बाद ही आवेदन-पत्र होम पेज पर जा कर Registered Candidate Login Button क्लिक कर डाउनलोड कर सकता है।

8. आरक्षण

- केवल उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।
- उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को अन्य पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कोटे का कोई आरक्षण लाभ अनुमन्य नहीं है।
- आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षण श्रेणी के समर्थन में परिशिष्ट-1 एवं 2 में उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, जो आवेदन की अन्तिम तिथि तक अथवा आवेदन की तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब भी अपेक्षा की जाये तब वे आयोग को प्रस्तुत करें।

9. लिखित परीक्षा सम्बन्धी निर्देश

- परीक्षा की तिथि, स्थान समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्र की सूचना SMS, ई मेल, समाचार पत्र व वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबन्धिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि नियुक्ति हेतु संस्तुति भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
- जो अभ्यर्थी कालांतर में अर्ह नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।
- कदाचार अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी परीक्षा हाल में काला बाल पेन अपने साथ अवश्य लायें तथा ओ.एम.आर. शीट के गोले को काले बाल पेन से ही भरें। काले के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों के बाल प्वाइन्ट पेन, फाउन्टेन पेन, जेल पेन, स्केच पेन, एच.बी. पेन्सिल एवं सफेदा (Whitener) का प्रयोग वर्जित है। एक बार गोला भरे जाने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। उसका न तो मूल्यांकन होगा और न ही उस पर कोई अंक दिया जायेगा।



उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज प्रयागराज, 211002

- दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों की श्रुति लेखक (Scribe) की सुविधा दी जायेगी। श्रुति लेखक को अभ्यर्थी अपने साथ लायेगा जिसकी शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस आशय का शपथ-पत्र उन्हें कक्ष निरीक्षक को देना होगा। श्रुति लेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले दृष्टिबाधित अभ्यर्थी सम्पूर्ण विवरण सहित अपना पंजीयन आयोग कार्यालय में लिखित परीक्षा से एक सप्ताह पूर्व तक अवश्य करा लें, ताकि उनकी बैठने की समुचित व्यवस्था केन्द्रों पर यथासमय की जा सके। उक्त अभ्यर्थियों को 40 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा। श्रुति लेखक को कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व स्वयं सुनिश्चित हो लें कि आप यू.जी.सी./राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं पूरी करते हैं। निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूरी न करने वाले अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सम्मिलित न हों, क्योंकि लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने मात्र से अथवा लिखित परीक्षा में सफल होने मात्र से सहायक आचार्य पद पर अन्तिम रूप से चयन हेतु आप पात्र नहीं माने जायेंगे। किसी भी स्तर पर यह तथ्य आयोग के संज्ञान में आता है कि आप आवेदित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं पूरी नहीं करते हैं तो आपका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- परीक्षा व साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10. चयन का आधार

चयन का आधार लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार है। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा हेतु एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र (सामान्य ज्ञान एवं सम्बन्धित वैकल्पिक विषय) होगा। लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित अंक 200 (सामान्य ज्ञान के 60+वैकल्पिक के 140) एवं साक्षात्कार के 30 अंक होंगे। सभी विषयों में सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न एवं वैकल्पिक विषय के 70 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न-2 अंकों का होगा। दोनों में (200+30= 230) प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता क्रमानुसार चयन सूची निर्गत की जायेगी। प्रश्नपत्र में कोई भी ऋणात्मक मार्किंग नहीं होगी।

- प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन प्रयागराज में किया जाएगा।
- प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के सम्बन्ध में सूचना SMS, ई मेल, समाचार पत्र व वेबसाइट के माध्यम से यथासमय सूचित किया जायेगा। सहायक आचार्य के चयन हेतु विषयवार पाठ्यक्रम पोर्टल पर उपलब्ध है। जिसे "पाठ्यक्रम" देखें बटन क्लिक करके देखा व डाउनलोड किया जा सकता है।

11. अधिमानता

लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय महाविद्यालयवार वरीयता का विकल्प ऑनलाइन देना होगा।

- अभ्यर्थियों द्वारा दिया गया अधिमानता क्रम उन पर बाध्यकारी होगा।
- अभ्यर्थी विज्ञापित समस्त महाविद्यालयों को अधिमानता/वरीयताक्रम में इंगित कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा आवंटित महाविद्यालय ही उन्हें स्वीकार करना होगा।
- पुरुष अभ्यर्थी महिला महाविद्यालयों को अधिमानता/वरीयताक्रम में इंगित न करें, अन्यथा किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। महिला अभ्यर्थी महिला एवं पुरुष दोनों प्रकार के महाविद्यालयों के लिए अधिमानता/वरीयताक्रम इंगित कर सकती हैं।
- महिला महाविद्यालयों की रिक्ति के समान ही महिला अभ्यर्थियों का चयन होने पर उन्हें सर्वप्रथम महिला महाविद्यालयों में नियुक्ति हेतु संस्तुत किया जायेगा अर्थात् महिला महाविद्यालयों की यदि पाँच रिक्तियों के प्रति केवल पाँच ही महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ है तो उन सभी महिला अभ्यर्थियों को महिला महाविद्यालयों के सापेक्ष नियुक्ति हेतु संस्तुत किया जायेगा यदि रिक्ति से अधिक महिला अभ्यर्थियों का चयन होता है तो उस स्थिति में



उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज प्रयागराज, 211002

रिक्ति से अधिक महिला नियुक्त होने पर योग्यताक्रमानुसार रिक्ति से अधिक महिलाओं को सहशिक्षा महाविद्यालयों में अधिमानता देने का अधिकार होगा।

- अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु महाविद्यालयों का आवंटन शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा किया जायेगा।
- आरक्षित श्रेणी (अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति) के अभ्यर्थी आरक्षित महाविद्यालयों के अतिरिक्त अनारक्षित महाविद्यालयों को भी अपनी अधिमानताक्रम में इंगित कर सकते हैं। किन्तु अनारक्षित श्रेणी के मेरिट में चयनित होने की दशा में ही उन्हें अनारक्षित महाविद्यालय योग्यताक्रमानुसार आवंटित किया जाएगा।
- महाविद्यालयवार एवं विषयवार आरक्षण व्यवस्था प्रख्यापित होने के कारण अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षित महाविद्यालयों को छोड़कर ही (अनारक्षित महाविद्यालयों को) अपनी अधिमानता/वरीयताक्रम इंगित करेंगे।
- प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थी आयोग द्वारा महाविद्यालयवार/विषयवार विज्ञापित रिक्तियों की सूची के सम्यक अवलोकन करने के उपरान्त उक्त निर्देशों के क्रम में अपनी-अपनी श्रेणी के अनुसार महाविद्यालयों के अधिमानता/वरीयताक्रम को इंगित करेंगे।

12. साक्षात्कार के लिए निर्देश

लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तिथि, समय व स्थान की सूचना SMS, ई मेल, समाचार पत्र व वेबसाइट के माध्यम से यथासमय सूचित किया जायेगा।

- साक्षात्कार के समय अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को रु० 800.00 तथा उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को रु० 400.00 मात्र साक्षात्कार शुल्क के रूप में आयोग कार्यालय में नगद जमा करना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र की दो प्रतियों के साथ-साथ आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में निम्नांकित अंक-पत्र, प्रमाण-पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित दो-दो प्रतियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा।

1. हाईस्कूल अंक पत्र
2. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र
3. इण्टरमीडिएट अंक पत्र
4. इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र
5. स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष का अंक-पत्र
6. स्नातक उपाधि
7. स्नातकोत्तर प्रथम एवं द्वितीय वर्ष का अंक-पत्र
8. स्नातकोत्तर उपाधि
9. पी-एच.डी./डी.फिल. उपाधि
10. पी-एच.डी./डी.फिल. उपाधि यू.जी.सी. (एम.फिल./पी-एच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम-2009/2016 के अनुसार होने का सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण-पत्र
11. नेट/सेट/स्लेट प्रमाण-पत्र
12. जे.आर.एफ.
13. डी.लिट./डी.एस-सी./एल.एल.डी. उपाधि
14. अनापत्ति प्रमाण-पत्र (केवल सेवारत अभ्यर्थियों के लिए) मूल रूप में
15. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र (केवल उत्तर प्रदेश राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)
16. विकलांग का प्रमाण-पत्र (केवल उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्धित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)
17. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र (केवल उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्धित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)



उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज प्रयागराज, 211002

18. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण-पत्र (केवल उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्धित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)
19. अन्तिम शिक्षा संस्थान का चरित्र प्रमाण-पत्र
20. दो सम्भ्रान्त व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूल रूप में (नवीनतम तिथि का बना हुआ)
21. आधार कार्ड/पैनकार्ड/निवास प्रमाण-पत्र (कोई एक प्रमाण-पत्र)
22. मा. न्यायालय में कोई वाद लम्बित होने अथवा न होने एवं वाद दायर होने की स्थिति में मा० न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने अथवा न किये जाने संबंधी शपथ-पत्र।


साचिव

उ०प्र० शिक्षा सेव चयन आयोग,
प्रयागराज।

सारिणी -1

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में रिक्त सहायक आचार्य बी0एड0 के अधियाचित पदों पर लागू क्षैतिज आरक्षण का विवरण :-

क्र० सं०	विषय	कुल पद	सहशिक्षा महाविद्यालय के पद	महिला महाविद्यालय के पद	महिलाओं हेतु क्षैतिज आरक्षण (20 प्रतिशत)	दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हेतु आरक्षित पद
1	बी0एड0	107	80	27	0	4	2

सारिणी - 2

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में रिक्त सहायक आचार्य बी0एड0 के अधियाचित पदों पर लागू क्षैतिज आरक्षण का विवरण:-

क्र० सं०	महाविद्यालय का नाम	महिला महाविद्यालयों के सम्मुख महिला महाविद्यालय अंकित		रोस्टर के आधार पर वर्गवार अधियाचित पदों की संख्या				
				GEN	EWS	OBC	SC	ST
1	मुनीश्वर दत्त स्ना० महाविद्यालय, प्रतापगढ़		3	1	0	1	1	0
2	मदन मोहन मालवीय पी०जी० कालेज कालाकांकर, प्रतापगढ़		3	1	0	1	1	0
3	दयानन्द महिला ट्रेनिंग कालेज, कानपुर नगर	महिला महाविद्यालय	2	1	0	0	1	0
4	डी०ए०वी० ट्रेनिंग कालेज, कानपुर		4	1	1	2	0	0
5	डी०वी०एस० कालेज, कानपुर		1	1	0	0	0	0
6	प्रो० एच०एन० मिश्रा कालेज आफ एजुकेशन, कानपुर		3	2	0	1	0	0
7	आचार्य नरेन्द्र देव नगर निगम महिला महाविद्यालय, कानपुर	महिला महाविद्यालय	1	1	0	0	0	0
8	पं० जवाहर लाल नेहरू कालेज, बांदा		1	0		0	1	0
9	दयानन्द वैदिक कालेज उरई, जालौन		3	1	0	1	1	0
10	ब्रह्मानन्द पी०जी० कालेज राठ, हमीरपुर		5	2	0	2	1	0
11	अतर्रा पी०जी० कालेज, अतर्रा, बांदा		5	3	0	1	1	0
12	राजा बलन्त सिंह कालेज, आगरा		2	0	0	0	2	0
13	धर्म समाज कालेज, अलीगढ़		1	1	0	0	0	0
14	आदर्श कृष्ण महाविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद		1	0	0	1	0	0
15	स्वामी शुकदेवानन्द कालेज, शाहजहांपुर		3	1	0	1	1	0
16	दयानन्द आर्य कन्या महाविद्यालय, मुरादाबाद	महिला महाविद्यालय	3	1	0	2	0	0
17	सौभाग्यवती बाई दानी महिला महाविद्यालय, धामपुर, बिजनौर	महिला महाविद्यालय	2	1	0	1	0	0
18	हिन्दू कालेज, मुरादाबाद		1	1	0	0	0	0
19	नवल किशोर भरतिया म्युनिसिपल गर्ल्स डिग्री कालेज चन्दौसी, सम्भल	महिला महाविद्यालय	1	1	0	0	0	0
20	गोकुल दास हिन्दु गर्ल्स कालेज, मुरादाबाद	महिला महाविद्यालय	4	2	0	1	1	0

क्र० सं०	महाविद्यालय का नाम	महिला महाविद्यालयों के सम्मुख महिला महाविद्यालय अंकित	रोस्टर के आधार पर वर्गवार अधियाचित पदों की संख्या					
			GEN	EWS	OBC	SC	ST	
21	राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय सिंगरामऊ, जौनपुर		1	0	0	1	0	0
22	तिलकधारी पी०जी० कालेज, जौनपुर		1	0	0	1	0	0
23	सकलडीहा पी०जी० कालेज, चन्दौली		10	4	1	3	2	0
24	श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय, आजमगढ़	महिला महाविद्यालय	4	1	1	2	0	0
25	गांधी स्मारक पी०जी० कालेज, समोघपुर, जौनपुर		2	1	0	1	0	0
26	श्री नारायण गर्ल्स पी०जी० कालेज, उन्नाव	महिला महाविद्यालय	6	2	1	2	1	0
27	रणवीर रणन्जय पी०जी० कालेज, अमेठी		4	1	1	2	0	0
28	कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान, सुल्तानपुर		2	1	0	0	1	0
29	युवराज दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी		1	0	0	1	0	0
30	राम नगर पी०जी० कालेज, रामनगर, बाराबंकी		3	2	0	1	0	0
31	फिरोज गांधी कालेज, रायबरेली		1	1	0	0	0	0
32	महिला विद्यालय डिग्री कालेज, लखनऊ	महिला महाविद्यालय	2	1	0	1	0	0
33	खुनखुन जी गर्ल्स डिग्री कालेज, लखनऊ	महिला महाविद्यालय	1	0	0	0	1	0
34	नवयुग कन्या महाविद्यालय, राजेन्द्र नगर, लखनऊ	महिला महाविद्यालय	1	0	0	1	0	0
35	बी०एन० के०बी० कालेज, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर		1	1	0	0	0	0
36	एम०एल०के० पी०जी० कालेज, बलरामपुर		4	2	1	1	0	0
37	का०सु० साकेत पी०जी० कालेज, अयोध्या		4	2	0	1	1	0
38	हीरा लाल राम निवास पी०जी० कालेज, खलीलाबाद, संतकबीर नगर		1	0	0	0	1	0
39	हंडिया पी०जी० कालेज, हंडिया, प्रयागराज		5	2	1	1	1	0
40	श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कालेज, गोण्डा		3	1	0	1	1	0
41	डॉ० राजेश्वर सेवाश्रम महाविद्यालय, ढिंदुई, प्रतापगढ़		1	0	0	1	0	0
कुल पद :-			107	44	7	36	20	0

परिशिष्ट-1

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी..... सुपुत्र / सुपुत्री श्री
..... निवासी ग्राम..... तहसील.....
नगर..... जिला उत्तर प्रदेश राज्य की.....
जाति के व्यक्ति है जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी
गयी है।

श्री / श्रीमती / कुमारी..... तथा / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के.....
ग्राम..... तहसील..... नगर..... जिला में
सामान्यता रहता है।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

पूरा नाम

मुहर

पद का नाम

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / तहसीलदार

परिशिष्ट-2

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी
सुपुत्र / सुपुत्री श्री निवासी ग्राम
तहसील नगर जिला

उत्तर प्रदेश राज्य की..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं | यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियां / अनुसूचित जनजातियां तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है |

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी
पूर्योक्त अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियां / अनुसूचित जनजातियां तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियां / अनुसूचित जनजातियां तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संसोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित की गयी है से अछादित नहीं है | इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय 8 लाख या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम 1957 में यथाविहित छुट सीमा से अधिक संपत्ति भी नहीं है |

श्री / श्रीमती / कुमारी तथा / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के
ग्राम तहसील नगर
जिला में सामान्यता रहता है |

स्थान हस्ताक्षर

दिनांक पूरा नाम

मुहर पद का नाम

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी माजिस्ट्रेट / तहसीलदार


परिशिष्ट-3
उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम:.....
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र
प्रमाण-पत्र संख्या..... दिनांक.....

वित्तीय वर्ष..... के लिए मान्य
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पति/पुत्रीग्राम/कस्बा.....
पोस्ट ऑफिस.....धाना.....
तहसील.....जिला.....राज्य.....
पिन कोड.....के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक
रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य है, क्योंकि वित्तीय वर्ष.....में इनके परिवार की कुल वार्षिक
आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्थामित्य में निम्नलिखित में से कोई
भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इसके ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2 श्री/श्रीमती/कुमारी.....जाति.....
के सदस्य है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में
अधिसूचित नहीं है।



हस्ताक्षर..... (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम.....

पदनाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी /सिटी

मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

परिशिष्ट-4

30 प्र0 के विकलांगों के लिये प्रमाण पत्र का प्रारूप CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

Certificate No.

DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/Smt/Kum. son/wife/daughter of Shri

age sex Identification mark(s) is suffering from permanent disability of following category.

A. Locomotor or cerebral palsy:

- (i) BL-Both legs affected but not arms.
- (ii) BA-Both arms affected
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
- (iii) BLA-Both legs and both arms affected
- (iv) OL-One leg affected (right or left)
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip.
 - (c) Ataxic
- (v) OA-One arm affected
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
 - (c) Ataxic
- (vi) BI-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop)
- (vii) MW-Muscular weakness and limited physical endurance.

B. Blindness or Low Vision:

- (i) B-Blind
- (ii) PB-Partially Blind

C. Hearing Impairment:

- (i) D-Deaf
- (ii) PD-Partially Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assess of this case is not recommended/ is recommended after a period of year months.

3. Percentage of disability in his/her case is percent.

4. Shri/Smt/Kum. meets the following physical requirements discharge of his/her duties:

- | | |
|--|--------|
| (i) F-can perform work by manipulating with fingers. | Yes/No |
| (ii) PP-can perform work by pulling and pushing. | Yes/No |
| (iii) L-can perform work by lifting. | Yes/No |
| (iv) KC-can perform work by kneeling and crouching. | Yes/No |
| (v) B-can perform work by bending. | Yes/No |
| (vi) S-can perform work by sitting. | Yes/No |
| (vii) ST-can perform work by standing. | Yes/No |
| (viii) W-can perform work by walking. | Yes/No |
| (ix) SE-can perform work by seeing. | Yes/No |
| (x) H-can perform work by hearing/speaking. | Yes/No |
| (xi) RW-can perform work by reading and writing. | Yes/No |

(Dr.)

Member
Medical Board

(Dr.)

Member
Medical Board

(Dr.)

Chairperson
Medical Board

Countersigned by the Medical Superintendent/CMO/IC Hospital (with seal)

Strikes out which is not applicable.

परिशिष्ट-5

उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिये प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कु.....
निवासी..... ग्राम तहसील
नगर जिला उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) पुत्र/पुत्री/पौत्र/ पौत्री अविवाहित उपर्युक्त 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान
दिनांक
मुहर

हस्ताक्षर

पूरा नाम

मुहर

जिलाधिकारी

(सील)

परिशिष्ट - 6

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

This is to certify that Mr./Ms.
Son/Daughter/Wife of Shri.....was awarded
Ph.D./D.Phil. Degree in the subject of.....on the
topic".....
....."with the Enrolment No.,by this University
In the year..... . As per University records his/her Ph.D./D.Phil. degree is in
accordance with the UGC (Minimum standards and procedure for awards of M.Phil./
Ph.D. degree) Regulation,2009/2016.

Date :

REGISTRAR

परिशिष्ट-7

शपथ-पत्र

- 1 मैंने विज्ञापन सं0-51 में विनिहित अनुदेश / निर्देश को भली भाँति पढ़कर ही आन-लाइन आवेदन किया है और मैं उक्त सभी अनुदेशों / निर्देशों का पूर्णतः पालन करूँगा / करूँगी।
- 2 आन-लाइन आवेदन-पत्र में अंकित सभी प्रविष्टियाँ मेरे द्वारा स्वयं भरीं गयीं हैं, जो तथ्यात्मक सत्य एवं पूर्ण हैं। आवेदन-पत्र में की गयी सभी प्रविष्टियाँ एवं आयोग को उपलब्ध करायी गयीं. स्वप्रमाणित संलग्नकों में किसी भी प्रकार की त्रुटि, अथवा फर्जी पाये जाने पर मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा / होऊँगी।
- 3 किसी भी मा0 न्यायालय द्वारा मुझे किसी भी प्रकार के कदाचार के लिए न तो दण्डित किया गया है और न ही किसी भी नियुक्ति हेतु आवेदन करने से प्रतिबन्धित किया गया है।
- 4 विज्ञापन सं0-51 के चयन से संबंधित योजित वादों में मा0 उच्च न्यायालय / उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पूर्णतया पालन करूँगा / करूँगी।
- 5 मैं यह वचन देता / देती हूँ कि आन-लाइन आवेदन-पत्र में अंकित की गई सभी प्रविष्टियाँ एवं उपलब्ध कराये गए सभी अभिलेख / प्रमाण- पत्र सही हैं। आन-लाइन आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टियाँ अथवा आयोग को उपलब्ध कराये गये अभिलेख / प्रमाण- पत्र फर्जी / असत्य पाये जाने पर मेरा अभ्यर्थन / चयन निरस्त करने अथवा भविष्य में अन्य विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने से प्रतिबंधित करने का आयोग को पूर्ण अधिकार होगा। आयोग द्वारा की गई उक्त कार्यवाही के लिए मैं किसी भी क्षतिपूर्ति का दावा नहीं करूँगा / करूँगी।
- 6 मैं यह भी वचन देता / देती हूँ कि साक्षात्कार बोर्ड या उसके किसी सदस्य को प्रभावित करने हेतु कोई प्रयास नहीं करूँगा / करूँगी और मुझे पता है कि इस तरह के प्रयास से मुझे अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा।

प्रार्थी